हरियाणा राज्य महिला आयोग की गतिविधियों बारे नोट

हरियाणा राज्य में महिलाओं के उत्थान, उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा और महिलाओं के लिए कल्याणकारी नीतियों के लिए कार्य करने के उद्देश्य से सरकार के परिपत्र दिनांक 20–12–1999 द्वारा हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई। आयोग का गठन एक पूर्णकालीन अध्यक्ष जो महिलाओं के हित के लिए समर्पित हो, की नियुक्ति करके किया गया। इाके अतिरिक्त सरकार द्वारा इसमें एक उपाध्यक्ष भी नियुक्त की गई। आयोग का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार द्वारा संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को भी आयोग का पदेन सदस्य सचिव मनोनीत किया हुआ है। अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को आयोग के कार्य के निपटान हेतु सरकारी वाहन उपलबध करवाया गया है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष को आवासीय सुविधा एवं आवास पर दूरभाष की सुविधा का प्रावधान है।

नोटः– महिला आयोग की अध्यक्षा, उपाध्यक्षा और गैर सरकारी सदस्यों को उनके पद से सरकार के आदेशों की पालना में दिनांक 7–3–2005 से पदमुक्त कर दिया गया है। आयोग के नए पदाधिकारिओं की नियुक्ति वर्ष 2007–08 में सरकार की अधिसूचना क्रमांक 126–एस0डब्लयू0(3) 2008 दिनांक 17–1–2008 द्वारा कुमारी सुशीला शर्मा को अध्यक्षा व श्रीमति चन्द्र प्रभा को उपाध्यक्षा के पदों पर नियुक्त किया गया है। इन आदेशों की पालना में उन द्वारा दिनांक 23–1–2008 को कार्य भार ग्रहण किया। शेष सदस्यों की नियुक्ति की जानी है।